



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032021-225942 CG-DL-E-16032021-225942

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942 No. 145] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2021

# (आयकर)

सा.का.नि. 194(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम 1961 (1961 के 43) की धारा 195,के साथ पठित धारा 295,द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात: -

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2021 है।
- (2) ये 1 अप्रैल 2021 से प्रवृत्त होंगे।
- (2) आयकर नियम 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), नियम 29 ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

29ख.क.''प्राप्तकर्ताओं के मामले में प्रभार्य, अनिवासी के लिए देय राशि (वेतन के अतिरिक्त) के समुचित अनुपात के निर्धारण के लिए प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन।''

(1) धारा 195 की उप-धारा (2) अथवा उप-धारा (7) के अधीन अनिवासी प्राप्तकर्ता के मामले में प्रभार्य राशि के समुचित अनुपात के अवधारणा हेतु व्यक्ति द्वारा प्ररूप 15ई में इलेक्ट्रॉनिक विधि से आवेदन किया जाएगा, -

1654 GI/2021 (1)

5 taxsutra

- (i) डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा; अथवा
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड द्वारा।
- (2) निर्धारण अधिकारीस्वयं,समाधान होने पर यह जांच करेगा कि क्या राशि देय अथवा क्रेडिट अनुरूप दुहरे कराधान वंचन, समझौते यदि कोई हो, के साथ पठित अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर प्रभार्य है ,और यदि राशि कर प्रभार्य है वह कर के लिए ऐसी प्रभार्य राशि के समुचित अनुपात के निर्धारण की प्रक्रिया का पालन करेगा।
- (3) धारा 195 की उपधारा (1) के अधीनकर निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्धारण अधिकारी समाधान होने के पश्चात् आवेदन की जांच करेगा कि प्राप्तकर्ता के मामले में ऐसी समग्र राशि प्रभार्य आय नहीं होगी। वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य ऐसी राशि के समुचित अनुपात के निर्धारण का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।
- (4)निर्धारण अधिकारी प्राप्तकर्ता के संबंध में आवेदन पत्र की जांच करते समय निम्नलिखित सूचना पर भी विचार कर सकता है : -
  - (i) पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में प्राक्कलित आय पर कर देय है;
  - (ii) पूर्ववर्ती चार वर्षों की यथास्थिति,निर्धारित अथवा वापस की गई या प्राक्कलित आय पर कर देय है।
  - (iii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) और संपत्ति कर अधिनियम, 1957(1957 का 27)के अधीन विद्यमान देयता ;
  - (iv) निर्धारण वर्ष के लिए, उप-नियम (1) के अधीन पूर्व वर्ष के अनुरूप अभी तक की तारीख में आवेदन में अग्रिम कर भुगतान स्त्रोत पर कर कटौती तथा कर संग्रहण।
- (5)अनिवासी प्रमाण-पत्र जिसमें नाम वर्णित हो को पूर्व वर्ष की ऐसी अवधि केवल संदाय हेतु मान्य होगा, जैसा कि प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है, जब तक कि निर्धारण अधिकारी द्वारा विर्निदिष्ट समय के समाप्त होने अथवा उससे पूर्व किसी समय निरस्त न किया गया हो।
- (6) यदि निर्धारिती चाहे तो पहले प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि के समापन पर अथवा उसके समापन तारीख से तीन माह पहले ही नया प्रमाण पत्र बनवाने हेत् आवेदन पत्र दे सकता है।
- 7) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) अथवा आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो, आंकडों को सुरक्षित एकत्र करके और प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को निर्धारित करेगें तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप 15ई की प्रस्तुति के संबंध में उपनियम (3) के अधीन प्रमाण पत्र जारी करने, उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 3. मूल नियमों में, प्ररूप15घके पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

भारत का राजपत्र : असाधारण

"प्ररूप 15ड़

[नियम 29ख.क. देखें]

प्राप्तकर्ता के मामले में कर प्रभार्य का समुचित अनुपात के निर्धारण के लिए अनिवासी के लिए देय राशि (वेतन के अतिरिक्त).

	आनवासा क लिए दय रा	,			
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195(2) और 195(7) के				
	अधीन एक प्रमाण पत्र के	लिएव्यक्तिद्वारा आवेदन	1		
सेवा में,	,				
निर्धारण	। अधिकारी,				
	किसी अनिवासी या किसी विदेशी कंपनी व				
	र्गिष "वेतन" के अधीन आय,प्रभार्य नहीं है), इसके द्वारा, अ				
	ात्र जारी किया जा सकता है प्राप्तकर्ता यदि कोई हो ,के माम् इ के समुचित अनुपात (यदि कोई हो) पर आय-कर में कटौती				
	ानकर्ता का विवरण	1000 10101 Sales For	1. (a) 61 A (1.14		
(i).	पैन या आधार				
(ii).	नाम				
(iii).	टैन (टैन आवेदन यू / एस 195 के लिए अनिवार्य है)				
(iv).	प्रास्थिति				
	(व्यक्तिगत / फर्म / कंपनी / एओपी / बीओआई, जैसा भी				
	मामला हो)				
(v).	आवासीय प्रास्थिति				
(vi).	पता				
(vii).	ईमेल				
(viii).	मोबाइल नम्बर				
2. प्राप्तव	र्क्ता का विवरण				
(i)	पैन (यदि उपलब्ध हो)				
(ii)	नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	उप नाम	
(iii).	स्थिति				
	(व्यक्तिगत / फर्म / कंपनी / एओपी / बीओआई, जैसा भी				
	मामला हो)				
(iv).	पिता का नाम (किसी व्यक्ति के मामले में)	प्रथम नाम	मध्य नाम	उप नाम	
(v).	जन्म की तारीख (व्यक्तियों के मामले में) अथवा निकाय				
	की तारीख				
(vi).	भारत में पता (यदि लागू हो)				
(vii).	प्राप्तकर्ता का पताभारत के बाहर निवास के देश में				
(viii).	निवास के देश में प्राप्तकर्ता की कर पहचान संख्या				
(ix).	अधिकारिता एओ, यदि कोई हो				
(x).	ईमेल आईडी				
(xi).	मोबाइल नंबर				

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] पासपोर्ट नंबर (व्यक्तिगत के मामले में) (xii). 3. लेन-देन का विवरण जिस देश को भुगतान किया जाना है देय राशि विदेशी मुद्रा राशि भारतीय रुपये में। (ii). (अनुमानित आधार पर) तारीख/माह/वर्षप्रारूप में भुगतान की प्रस्तावित तारीख (iii). गत वर्ष के अनुरूप प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध किया है (iv). (v). समझौते / दस्तावेज के अनुसार भुगतान की प्रकृति : स्वामित्व तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क लाभांश ब्याज व्यवसाय की आय पुंजीगत लाभ कोई अन्य (कृपया उल्लेख करें) यदि भुगतान करों का शुद्ध है, तो क्या कर देय है, अगर निशान लगाएं हां नहीं (vi). कोई सकल होगा? एक ही लेन-देन के लिए धारा 195 (2)के अधीन प्राप्त जारी करने की डी.आई.एन (vii). प्रमाण पत्र संख्या पिछले प्रमाण पत्रों का विवरण तारीख (यदि हो) प्राप्तकर्ता के पिछले वर्ष की अनुमानित आय पर देय कर (viii). (यदि उपलब्ध हो) अग्रिम कर उपलब्ध होने पर, प्राप्तकर्ता के पिछले वर्ष के अग्रिम कर, (ix). लिए अग्रिम कर, टीडीएस, टीसीएस का विवरण टीडीएस टीसीएस यदि उपलब्ध हो तो आयकर अधिनियम या धन कर (x). अधिनियम के अधीन प्राप्तकर्ता की मौजूदा देनदारियों का विवरण क्या भारत और दूसरे देश के बीच डीटीएए लागू करके या (xi). 🛮 डीटीएए के बिना डीटीएए के साथ 🖳 डीटीएए को लागू किए बिना प्राप्तकर्ता की आय के रूप में शुल्क का उचित अनुपात निर्धारित किया जाना है? (टिप्पण : खंड 5 में डीटीएए भरने की उपयुक्तता के मामले मे,डीटीएए के अप्रयोज्यता के मामले में अनुभाग संख्या 4 भरें।) 4. आयकर अधिनियम (डीटीएएपर विचार किए बिना) के उपबंधों के अधीन कर देयता क्या भुगतान भारत में आयकर अधिनियम के उपबंधों के निशान लगाएं हां नहीं (i). अनुसार कर के लिए प्रभार्य है

यदि कर योग्य नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं?

जिसके अधीन भुगतान समावेषित किया गया है।

यदि कर योग्य है, तो अधिनियम का संबंधित अनुभाग

(ii).


(iii).



₹ taxsutra

भारत का राजपत्र : असाधारण

(iv).	(क) यदि भुगतान व्यावसायिक आय के कारण होता है, तो कृपया इंगित करें;					
	(क) व्यापार संपर्क का विवरण।					
	(ख) इस शीर्ष के अधीन कर के लिए आय प्रभार्य की राशि।					
	(ग) इस शीर्ष के अधीन प्रभार्य राशि पर कर देयता					
	(घ) उपरोक्त कर देयता का औचित्य।					
	(ड) उपरोक्त के आधार पर किस दर से कर में कटौती की आवश्यकता है					
	(ख) यदि भुगतान पूंजीगत लाभ के कारण होता है, तो कृपया इंगित करें:					
	(क) परन्तु:					
	(i) परिसंपत्ति की प्रकृति और उसका स्थान					
	(ii) दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की राशि	परिसंपत्ति की बिक्री की तारीख	समग्र विक्री पर प्रतिफल	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण कुल लागत	
	(iii) अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि	परिसंपत्ति की बिक्री की	कुल बिक्री पर विचार	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण कुल लागत	
		तारीख				
	(ख) इस शीर्ष के अधीन आयकर प्रभार्य	_	•	•	•	
	(ग) इस शीर्ष के अधीन प्रभार्य राशि पर कर देयता					
	(घ) उपरोक्त कर देयता का औचित्य।					
	(ड) उपरोक्त के आधार पर किस दर से कर कटौती करनी है					
	(ग) यदि भुगतान स्वामित्व के कारण हो, तो कृपया सूचित करें					
	(क) स्वामित्व भुगतान की प्रकृति					
	(ख) इस शीर्ष के अधीन आयकर की राशि प्रभार्य।					
	(ग) इस शीर्ष के अधीन प्रभार्य राशि पर कर देयता।					
	(घ) उपरोक्त कर देयता का औचित्य।.					
	(ड) उपरोक्त के आधार पर किस दर से कर कटौती करनी है					
	(घ) तकनीकी सेवाओं के लिए भुगतान के (एफटीएस) मामले में, कृपया इंगित करें					
	(क) भुगतान की प्रकृति					
	(ख) इस शीर्ष के अधीन कर के लिए आय प्रभार्य की राशि।					
	(ग) इस शीर्ष के अधीन प्रभार्य राशि पर कर देयता।					
	(घ) उपरोक्त कर देयता का औचित्य					
	(ड) उपरोक्त के आधार पर किस दर से कर की कटौती करनी है					



कर के लिए उत्तरदायी हैं

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 6 (ड) ब्याज आय के मामले में (क) ब्याज आय की प्रकृति (ख) कृपया संकेत दें (i) क्या धारा 194एल.बी. की शर्तें संतुष्ट हैं?? निशान लगाएं हां नहीं (ii) क्या 194एल.बी.ए की शर्तें संतुष्ट हैं? निशान लगाएं हां नहीं (iii) क्या 194एम.एल की शर्तें संतुष्ट हैं? निशान लगाएं हां नहीं (iv) क्या धारा 194एल.डी. की शर्तें संतुष्ट हैं? निशान लगाएं हां नहीं (v) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण रजिस्ट्री संख्या (एलआरएन) (ग) इस शीर्ष के अधीन कर की आय प्रभार्य राशि। (घ) इस प्रमुख के अधीन प्रभार्य राशि पर कर देयता। (ड) उपरोक्त कर देयता का औचित्य। (च) उपरोक्त क से ड़ तक मदों द्वारा कवर नहीं किए गए अन्य भुगतान के मामले में (क) कृपया भुगतान की प्रकृति निर्दिष्ट करें (ख) इस शीर्ष के अधीन कर के लिए आय प्रभार्य की राशि। (ग) इस शीर्ष के अधीन प्रभार्य राशि पर कर देयता। (घ) उपरोक्त कर देयता का औचित्य (ड) उपरोक्त के आधार पर किस दर से कर की कटौती 5. दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) के अधीन कराधान कृपया प्रासंगिक लागू डीटीएए निर्दिष्ट करें (i). क्या टैक्स रेजीडेंसी सर्टिफिकेट और फॉर्म 10 चकी प्रति (ii). निशान लगाएं हां नहीं संलग्न है (क).यदि भुगतान व्यावसायिक आय के कारण होता है, तो (iii). कृपया संकेत दें: (क) क्या ऐसी व्यावसायिक आय डीटीएए के अधीन भारत निशान लगाएं हां नहीं में कर के लिए उत्तरदायी है (ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं (ग) यदि हाँ, तो भारत में स्थायी स्थापना का स्वरूप (घ) इस शीर्ष के अधीन कर की आय प्रभार्य राशि (ड) इस प्रमुख के अधीन प्रभार्य राशि पर कर देयता (च) उपरोक्त कर देयता का औचित्य (छ) उपरोक्त के आधार पर किस दर से कर में कटौती करनी है (ख) यदि भुगतान पूंजीगत लाभ के कारण होता है, तो कृपया संकेत दें: (क) क्या ऐसे पूंजीगत लाभ डीटीएए के अधीन भारत में निशान लगाएं हां नहीं



₹ taxsutra

भारत का राजपत्र : असाधारण

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं				
(ग) यदि हाँ, तो प्रदान करें				
(I) यदि संपत्ति की प्रकृति और उसका स्थान				
(II) दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की राशि	आस्ति के विक्रय की तारीख	कुल विक्रय प्रतिफल	अर्जन की तारीख	अर्जन की कुल लागत
(III) अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि	आस्ति के विक्रय की तारीख	कुल विक्रय प्रतिफल	अर्जन की तारीख	अर्जन की कुल लागत
(घ) इस शीर्ष के अधीन कर की आय प्रभार्य राशि।				
(ड) इस प्रमुख के अधीन प्रभार्य राशि पर कर देयता।				
्च) उपरोक्त कर देयता का औचित्य।				
(छ) उपरोक्त के आधार पर किस दर से कर में कटौती करनी है				
(ग). यदि भुगतान स्वामित्व के कारण हो, तो कृपया स्चित करें				
(क) क्या ऐसे स्वामित्व डीटीएए के अधीन भारत में कर के लिए उत्तरदायी है	निशान लगाएं हां	नहीं	]	
(ख) यदि नहीं, तो भुगतान की प्रकृति के साथ ही इसके लिए कारण प्रदान करें				
(ग) यदि हाँ, तो राज्य				
(i) स्वामित्व की प्रकृति का भुगतान या भुगतान किया जाना है				
(ii) इस शीर्ष के अधीन कर की आय प्रभार्य राशि।.				
(iii) इस शीर्ष के अधीन प्रभार्य राशि पर कर देयता				
(iv) उपरोक्त कर देयता का औचित्य				
(v) उपरोक्त के आधार पर किस दर से कर की कटौती करनी है				
(घ) तकनीकी सेवाओं के लिए भुगतान के (एफटीएस) मामले में, कृपया इंगित करें				
(क) क्या तकनीकी सेवा के लिए ऐसा शुल्क डीटीएए के अधीन भारत में कर के लिए उत्तरदायी है	निशान लगाएं हां	नहीं		
(ख) यदि एफटीएस एडीटीएए के अधीन भारत में कर योग्य नहीं है, तो राज्य				
(i) भुगतान की प्रकृति				
(ii) क्या संधि में उपलब्ध 'खंड है या नहीं	निशान लगाएं हां	नहीं		
(iii) 'यदि उपलब्ध है', खंड के लिए का कोई दावा है, तो क्या एफटीएस में इस तरह के खंड को मोस्ट फेवर्ड नेशन खंड के माध्यम से डीटीएए में सम्मिलित करने की मांग की गई है ?	निशान लगाएं हां	नहीं	]	



(iv) यदि ऊपर (iii) उत्तर दिया गया है, तो क्या हाँ, क्या भारत सरकार द्वारा जारी 'उपलब्ध उपलब्ध' खंड के बारे में अधिसूचना है	निशान लगाएं हां नहीं	
(v) यदि उपलब्ध खंड है तो समझाइए कि वह आवश्यकता कैसे पूरी नहीं हुई है		
(vi) यदि कोई खंड उपलब्ध नहीं है तो बताएं कि भुगतान एफटीएस नहीं है		
<ul><li>(ग) यदि एफटीएसए डीटीएए के अधीन भारत में कर योग्य है, तो राज्य</li></ul>		
(i)एफटीएसकी प्रकृति का भुगतान या भुगतान किया जाना है		
(ii) इस शीर्ष के अधीन कर की आय प्रभार्य राशि।		
(iii) इस प्रमुख के अधीन प्रभार्य राशि पर कर देयता		
(iv) उपरोक्त कर देयता का औचित्य		
(v) उपरोक्त के आधार पर किस दर से कर की कटौती करनी है		
(ड़) ब्याज आय के मामले में		
(क) क्या ऐसी ब्याज भारत में कर के लिए उत्तरदायी है।	निशान लगाएं हां नहीं	
(ख) यदि नहीं, तो ब्याज भुगतान की प्रकृति के साथ कारण बताएं।		
(ग) यदि हाँ, तो राज्य,		
(I) ब्याज आय की प्रकृति का भुगतान या भुगतान किया जाना है।		
(II) इस शीर्ष के अधीन कर की आय प्रभार्य राशि।		
(III) इस शीर्ष के अधीन प्रभार्य राशि पर कर देयता।		
(IV) उपरोक्त कर देयता का औचित्य।		
(V) उपरोक्त के आधार पर किस दर से कर में कटौती करनी है।		
(च) अन्य भुगतान के मामले में मदक से इ तक समाविष्ट नहीं किया गया है।		
(क) कृपया भुगतान की प्रकृति निर्दिष्ट करें।		
(ख) क्या डीटीएए के अनुसार भारत में कर योग्य है।	निशान लगाएं हां नहीं	
(ग) यदि हाँ, तो डीटीएएके प्रासंगिक अनुच्छेद और लागू डीटीएएके प्रासंगिक लेख के संदर्भ में टीडीएसकी दर निर्दिष्ट करें।		
(घ) इस शीर्ष के अधीन आयकर की प्रभार्य राशि।		
(ड़) इस शीर्ष के अधीन प्रभार्य राशि कर कर देयता।		
(च) उपरोक्त कर देयता का औचित्य		
(छ) उपरोक्त के आधार पर किस दर से कर कटौती की आवश्यकता है		
(ज) यदि कर योग्य नहीं है, तो उसके संक्षिप्त कारणों को प्रस्तुत करें, डीटीएए के प्रासंगिक लेख को निर्दिष्ट करें		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण



6.	अपलोड किए जाने वाले दर	स्तावेजों की सूची:		
(i).	प्रासंगिक दस्तावेज जैसे माल की विक्री के लिए अनुबंध और / या सेवाओं के लिए उपबंध (यदि कोई हो), पूंजीगत लाभ की गणना, शेयर खरीद समझौता, बैंक भुगतान, अधिग्रहण की लागत का विवरण, अनुबंध टिप्पण (यदि कोई हो), शेयर प्रमाणपत्र (यदि कोई हो)), आदि।			
(ii).	यदि उपलब्ध हो, तो पि	तेछले चार वर्षों के पहले के रोत / / अनुमानित आय का		
(iii).	पूर्व वर्ष के कर और कर गणना।	देयता के अनुमानित आय की		
(iv).	टैक्स रेजीडेंसी सर्टिफिकेट	और फॉर्म 10F की कॉपी		
(v).	धारा 194ठख /194ठखक / 194ठग / 194ठघवर्गों की प्रयोज्यता के दावे के समर्थन में दस्तावेज			
(vi).	कोई अन्य दस्तावेज जिसे आप अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहते हैं।			
कि में अनुस	सत्यापन  मैं का पुत्र / पुत्री पैन / आधार संख्या इसके द्वारा घोषित करता/करती हूं िक मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार जो ऊपर कहा गया है वह सहीऔर सत्य है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार आवेदन कर रहा हूं मैं और स्वंय इस आवेदन को प्रस्तुत करने औरइसे सत्यापित करने में सक्षम हूं।			
तारीख	<b>3</b> :	हस्ताक्षर:		
स्थान	:	पता:		

[अधिसूचना सं. 18/2021/फा. सं. 370142/24/2019-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव, (कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल नियम भारतका राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 के उपखंड (ii) में का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 175(अ) तारीख 12 मार्च, 2021 द्वारा किया गया।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2021

# (INCOME-TAX)

**G.S.R. 194(E).**—In exercise of the powers conferred by section 195 read with section 295 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby, makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- 1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Income-tax (5<sup>th</sup> Amendment) Rules,2021.
  - (2) They shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2021.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 29B, the following rule shall be inserted, namely,
  - "29BA. Application for grant of certificate for determination of appropriate proportion of sum (other than Salary), payable to non-resident, chargeable in case of the recipients.

- <u> 5 taxsutra</u>
- (1) An application by a person for determination of appropriate proportion of sum chargeable in the case of non-resident recipient under sub-section (2) or sub-section (7) of section 195 shall be made in Form 15E electronically,-
  - (i) under digital signature; or
  - (ii) through electronic verification code.
- (2) The Assessing Officer, in order to satisfy himself, shall examine whether the sum being paid or credited is chargeable to tax under the provisions of the Act read with the relevant Double Taxation Avoidance Agreement, if any, and if the sum is chargeable to tax he shall proceed to determine the appropriate proportion of such sum chargeable to tax.
- (3) The Assessing Officer shall examine the application and on being satisfied that the whole of such sum would not be the income chargeable in case of the recipient, may issue a certificate determining appropriate proportion of such sum chargeable under the provision of this Act, for the purposes of tax deduction under sub-section (1) of section 195.
- (4) While examining the application, the Assessing Officer shall also take into consideration, following information in relation to the recipient:-
  - (i) tax payable on estimated income of the previous year relevant to the assessment year;
  - (ii) tax payable on the assessed or returned or estimated income, as the case may be, of preceding four previous years;
  - (iii) existing liability under the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) and Wealth-tax Act, 1957(27 of 1957);
  - (iv) advance tax payment, tax deducted at source and tax collected at source for the assessment year relevant to the previous year till the date of making application under sub-rule (1).
- (5) The certificate shall be valid only for the payment to non-resident named therein and for such period of the previous year as may be specified in the certificate, unless it is cancelled by the Assessing Officer at any time before the expiry of the specified period.
- (6) An application for a fresh certificate may be made, if the assessee so desires, after the expiry of the period of validity of the earlier certificate or within three months before the expiry thereof.
- (7) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the furnishing of Form No 15E and issuance of Certificate under sub-rule (3)."
- 3. In the principal rules, after form 15D, the following form shall be inserted, namely: —


# "FORM No. 15E

[See rule 29BA]

Application by a person for a certificate under section 195(2) and 195(7) of the Income-tax Act, 1961, for determination of appropriate proportion of sum (other than salary) payable to non-resident, chargeable to tax in case of the recipient.

11011-103	ident, enargeable to tax in ease of the recipient.
Го,	
The Assessing Officer,	
company any sum (not being in certificate may be issued to me a	erson responsible for making payment to a non-resident or to a foreign acome chargeable under the head "Salaries") do, hereby, request that a fred determining the appropriate proportion of such sum chargeable to tax by) and authorise me to deduct income-tax on such appropriate proportion are as below:

[भाग II—खण्ड 3(i)]




Interest



		Business income			
		Capital gains			
		Any other (please men			
(vi)	In case the payment is net of taxes, whether tax payable, if any would be grossed up?	(Tick) Yes No	0		
(vii)	Details of previous certificates obtained under section 195(2) for the same transaction	Certificate Number	Date of certification	issue of ate	DIN (if available)
(viii)	Tax payable on estimated income of the previous year of the recipient (if available)		ı		
(ix)	Details of advance tax, TDS, TCS for	Advance tax			
	the previous year of the recipient, if available	TDS			
	avanaoic	TCS			
(x)	Details of existing liabilities of recipient under the Income-tax Act or Wealth Tax Act, if available				
(xi)	Whether the appropriate proportion of sum to be charged as income of the recipient is to be determined by applying a DTAA between India and the other country or without applying the DTAA?	With DTAA	Without	DTAA	
	(Note: in case of applicability of DTAA fill up section no 5. In case of non-applicability of DTAA fill up section no 4.)				
4. Tax	ability under the provisions of the Inco	ome-tax Act (without co	onsiderin	g DTAA)	
(i)	Is payment chargeable to tax in India as per the provisions of Income-tax Act	(Tick) Yes No	0		
(ii)	If not taxable, reasons thereof				
(iii)	if taxable, the relevant section of the Act under which the payment is covered.				
(iv)	A. If the payment is on account of business income, please indicate:				
	(a) Description of the business connection.				
	(b) The amount of income chargeable to tax under this head.				
	(c) Tax liability on the chargeable sum under this head				
	(d) Justification of above tax liability.				
	(e) Based on above at what rate tax is required to be deducted				

[भाग II—खण्ड 3(i)]





THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

	THE GREETTE O	T INDIT: EXTRAORDINARY	[174K1 11   5Ec. 5(1)]
	(b) Please indicate		
	(i) Whether conditions of section 194LB are satisfied?	(Tick) Yes No	
	(ii) Whether conditions of section 194LBA are satisfied?	(Tick) Yes No	
	(iii) Whether conditions of section 194LC are satisfied?	(Tick) Yes No	
	(iv) Whether conditions of section 194LD are satisfied?	(Tick) Yes No	
	(v) Loan Registration Number (LRN) as given by Reserve Bank of India		
	(c) The amount of income chargeable to tax under this head.		
	(d) Tax liability on the chargeable sum under this head.		
	(e) Justification of above tax liability.		
	(f) Based on above at what rate tax is required to be deducted		
	F. In case of other payment not covered by items A to E, above		
	(a) Please specify the nature of payment		
	(b) The amount of income chargeable to tax under this head.		
	(c) Tax liability on the chargeable sum under this head.		
	(d) Justification of above tax liability.		
	(e) Based on above at what rate tax is required to be deducted		
5. Tax	ability under the Double Taxation Av	oidance Agreement (DTAA)	
(i)	Please specify relevant applicable DTAA		
(ii)	Whether copy of Tax Residency Certificate and Form 10F enclosed	(Tick) Yes No	
(iii)	A. If the payment is on account of business income, please indicate:		
	(a) Whether such business income is liable to tax in India under the DTAA	(Tick) Yes No	
	(b) If no, the reasons for the same		
	(c) If yes, the nature of permanent establishment in India		
	(d) The amount of income chargeable to tax under this head		
	(e) Tax liability on the chargeable sum under this head		
	(f) justification of above tax liability		
	(g) Based on above at what rate tax is required to be deducted		



[भाग II—खण्ड 3(i)]

B. In case the payment is on account of capital gains, please indicate: (a) Whether such capital gains are (Tick) Yes No liable to tax in India under the DTAA (b) If no, the reasons for the same (c) if yes, then provide (I) Nature of asset and its location if (II) Amount of long-term capital Date of sale Total sale Date of Total cost of gains of asset consideration acquisition acquisition Date of Total cost of (III) Amount of short-term capital Date of sale Total sale consideration acquisition of asset acquisition gains (d) The amount of income chargeable to tax under this head. (e) Tax liability on the chargeable sum under this head. (f) Justification of above tax liability. (g) Based on above at what rate tax is required to be deducted C. In case the payment is on account of Royalty, please indicate (Tick) Yes (a) Whether such royalty is liable to tax in India under the DTAA (b) if no, provide reasons for the same along with the nature of payment (c) if yes, then state (i) Nature of Royalty paid or to be paid (ii) The amount of income chargeable to tax under this head. (iii) Tax liability on the chargeable sum under this head (iv) Justification of above tax liability (v) Based on above at what rate tax is required to be deducted D. In case the payment is on account of Fee for technical services (FTS), please indicate (a) Whether such fee for technical (Tick) Yes No

service is liable to tax in India under

the DTAA



16

(b) if FTS is not taxable in India under the DTAA, then state (i) nature of payment (ii) whether there is 'Make (Tick) Yes Available' clause in the treaty (iii) if there is a claim for 'Make (Tick) Yes Available' clause, whether such clause in FTS article is sought to be included in the DTAA through Most Favoured Nation Clause? (iv) if answer to (iii) above is yes, (Tick) Yes No whether notification regarding Available' 'Make clause issued by Government of India If there is make available clause explain how that requirement is not satisfied (vi) If there is no make available clause explain how the payment is not FTS (c) if FTS is taxable in India under the DTAA, then state (i) Nature of FTS paid or to be paid (ii) The amount of income chargeable to tax under this head. (iii) Tax liability on the chargeable sum under this head (iv) Justification of above tax liability (v) Based on above at what rate tax is required to be deducted E. In case of Interest income (a) Whether such interest is liable to (Tick) Yes tax in India (b) if no, give reasons along with nature of interest payment (c) if yes, then state, (I) Nature of interest income paid or to be paid (II) The amount of income chargeable to tax under this head. (III) Tax liability on the chargeable sum under this head (IV) Justification of above tax liability (V) Based on above at what rate tax is required to be deducted



taxsutra All rights reserved [भाग II—खण्ड 3(i)]



	F. In case of other payment not covered by items A to E	
	(a) Please specify the nature of payment	
	(b) Whether taxable in India as per DTAA	(Tick) Yes No
	(c) If yes, specify relevant Article of DTAA and the rate of TDS in terms of relevant Article of the applicable DTAA	
	(d) the amount of income chargeable to tax under this head.	
	(e) Tax liability on the chargeable sum under this head	
	(f) Justification of above tax liability	
	(g) Based on above at what rate tax is required to be deducted	
	(h) If not taxable, please furnish brief reasons thereof, specifying relevant article of DTAA	
6.	List of Documents to be uploaded:	
( i)	Relevant documents such as contract for sale of goods and/or provisions for services (if any), computation of capital gains, share purchase agreement, bank payment, details of cost of acquisition, contract note (if any), share certificate (if any), etc.	
(ii)	Details of assessed/returned/estimated income of payee of preceding four previous years, if available	
(iii)	Computation of estimated income chargeable to tax and Tax Liability of the previous year.	
(iv)	Copy of Tax Residency Certificate and Form 10F	
(v)	Documents in support of claim of applicability of sections 194LB/194LBA/194LC/194LD	
(vi)	Any other documents you wish to furnish in support of your claim.	

18

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

taxsutra

	VERIFICATION				
hereby declare that to the truly stated. I also decl	son/daughter of having PAN/Aadhaar number do be best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and are that I am making application in my capacity as of am also competent to make this application and verify it.				
Date:	Signature:				
Place:	Address:				

[Notification No. 18/2021 F. No. 370142/24/2019-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 175(E), dated the 12th March, 2021.